फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

संजय कुमार बनाम सहदेव

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 178 सन–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
29.11.2021	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पावन्द किया जाता है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 134 / 141 के खसरा न0 154 की 4.1240हैक एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 14 / 14 की कुल 3.2890हैक भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । उक्त स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 9/12/2021 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
9/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प ढिलकी जाटान में पेश हुई राजीनामा पेश हुआ अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे ... दि. 24/3/22 को पेश हो।	
24/3/22	वकील सायल उपस्थित गैरसायल संख्या 1 की ओर से महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता उप. शेष के रजिस्टर्ड सम्मन पेश नहीं किए आगामी पेशी तक आवश्यक तौर से सम्मन रजिस्टर्ड पेश करें पत्रावली दि. 26/5/22 को जवाब / बहस हेतु पेश हो।	
26/5/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अभियान में पधारे हैं पत्रावली दि० 17/8/22 को पेश हो।	

Scanned with CamScanner

2/5/22

~~ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ~~
~~ਕੋਈ ਮੰ ਨੀ: ਸ਼ਹੀ ਪਰਮਾਤ ਦੇ~~
~~ਮਿਲਣ ਕਿਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ~~
~~ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉ ਚਾਹਿਦਾ~~
~~ਕਾਰਿਆ ਕਰਮਾਨ।~~
~~ਮਿਸਲ ਕਿਸਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ~~
~~ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉ ਦੇ ਵਾਸਤਾ~~
~~ਕਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ~~
~~ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।~~

ਪੰਚ ਕੁਮਾਰ
[illegible]
[illegible]